



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022020-215920
CG-DL-E-04022020-215920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2020/माघ 15, 1941

No. 66]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2020/MAGHA 15, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 84(अ).—वित्त मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) में स्थापित वस्तु एवं सेवा कर डाटाबेस और उससे संबंधित अवसंरचना आश्रितता को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संरक्षित प्रणाली घोषित करता है।

संरक्षित प्रणाली का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाएगा:-

- (क) जीएसटीएन के प्रमुख द्वारा प्राधिकृत नामनिर्दिष्ट जीएसटीएन कर्मचारी;
- (ख) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, लेखा परीक्षण एजेंसियों, और लेखांकन प्राधिकारियों के नामनिर्दिष्ट कर अधिकारी;
- (ग) संविदा प्रबंधित सेवा प्रदाता या पर व्यक्ति विक्रेता (विक्रेताओं) या उनके भागीदार (भागीदारों) के प्राधिकृत सदस्य अथवा कर्मचारी; और
- (घ) जीएसटीएन द्वारा प्राधिकृत व्यापार भागीदार (भागीदारों)

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. एस-31011/01/2012-एसओ(एसटी-1)(पीटी.-8)]

सुनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2020

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Ministry of Finance hereby declares the Goods and Services Tax Database and its associated infrastructure dependencies installed at Goods and Services Tax Network (GSTN), as the protected system for the purpose of said Act.

The following persons shall be authorised to access the protected system: -

- (a) designated GSTN employees authorised by Head of GSTN;
 - (b) designated Tax officers of the Central Government, State Government, Union territories, Auditing agencies and Accounting Authorities;
 - (c) authorised members or employees of Contractual Managed Service Provider or third-party vendor(s) or its partner(s); and
 - (d) GSTN authorized business partner(s).
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-31011/01/2012-SO (ST-1)(Pt.-8)]

SUNIL KUMAR, Under Secy.